



कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी बनीपार्क नगर निगम जयपुर, हैरिटेज।

क्रमांक: अग्निशमन./ न.नि.ज.हैरिटेज/ 23-24/ 1719 दिनांक 15/3/2024

श्रीमती ज्योति मैहरोत्रा प्राचार्य,  
सिडलिंग पब्लिक स्कूल,  
3+G+1<sup>ST</sup> +2<sup>nd</sup> +3<sup>rd</sup> +4<sup>th</sup> फ्लोर,  
पार्क लेन सेक्टर-4,  
जवाहर नगर, जयपुर।

विषय :— अग्निशमन यन्त्र/उपकरण का निरीक्षण एवं अग्निशमन की दृष्टि से वार्षिक अभिशंषा पत्र जारी किये जाने बाबत्।

वैधता :— अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 30.09.2024 तक वैध है।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आवेदित स्थल सिडलिंग पब्लिक स्कूल, 3+G+1<sup>ST</sup> +2<sup>nd</sup> +3<sup>rd</sup> +4<sup>th</sup> फ्लोर, पार्क लेन सेक्टर-4, जवाहर नगर, जयपुर में निर्मित इकाई सिडलिंग पब्लिक स्कूल का नवीनीकरण किये जाने हेतु अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टि से मौका निरीक्षण श्री शुभम शर्मा सहायक अग्निशमन अधिकारी द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान आवेदित स्थल पर स्थापित किये गये अग्निशमन यन्त्र/उपकरण सही व कार्यशील अवस्था में पाये गये। अग्निशमन यन्त्र/उपकरण व अन्य व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील अवस्था में रखे जाने हेतु मौके पर उपस्थित अधिकारी व कर्मचारियों को निर्देशित किया गया व फायर के प्रशिक्षित कर्मचारी रखे जाने हेतु भी निर्देशित किया गया। भविष्य में आवेदित स्थल पर रूफटोप रेस्टोरेन्ट का निर्माण कर उपयोग नहीं किया जावेगा। अगर अन्य किसी फर्म को बेचान या लीज पर दिये जावे तो उक्त की पालना सुनिश्चित किये जाने के पश्चात् की अग्रिम कार्यवाही की जावें। अन्यथा अनापत्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। अग्निशमन यन्त्रों को चलाये जाने हेतु एक फायर का प्रशिक्षित कर्मचारी हर समय रखा जाना आवश्यक होगा। नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 पार्ट 4 एवं राजस्थान नगरीय क्षेत्र भवन विनियम 2020 की शर्तों की पालना अनिवार्य होगी। इस विभाग द्वारा पूर्व जारी किए गए दिनांक पत्रांक फायर एन.ओ.सी./2779 दिनांक 04.10.2020 में अंकित शर्तें यथावत रहेगी।

यह अभिशंषा पत्र पूर्व में जारी किये गए वार्षिक अभिशंषा पत्र की तिथि से दिनांक 30.09.2024 तक नवीनीकृत किया जाता है।

(द्वेष्टु कुमार मीणा)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी आर.एम.एस.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
नगर निगम हैरिटेज, जयपुर